जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़।

परिवाद संख्या–63/2021
दायरा दिनांक–18–03–2021
फैसला दिनांक–13–12–2023

उपस्थिति–1–श्री यशवन्त कुमार मिश्र, अध्यक्ष।
2–श्रीमती ममता गुप्ता, महिला सदस्य।

प्रदत्त द्वारा– श्री यशवन्त कुमार मिश्र अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़।

लल्लन शर्मा पुत्र शोभनाथ शर्मा निवासी ग्राम चौबेपुर पो0 दूबेपुर सण्डवा चन्द्रिका, जनपद प्रतापगढ़।

.....परिवादी

बनाम

मण्डलीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं0 लि0, मण्डलीय कार्यालय राम मोहन प्लाजा जहरूल हसन रोड कटरा प्रयागराज पिन कोड– 211001

.....विपक्षी।

निर्णय

परिवादी लल्लन शर्मा ने यह परिवाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं0 लि0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने एक काली गाय दिनांक 20–11–2018 को मु0 45000/– रू0 में क्रय किया था जिसका बीमा विपक्षी कंपनी से कराया था जिसकी पालिसी नंबर– 083814714पी.113326788 है। बीमा कंपनी द्वारा गाय के कान में जो टैग लगाया गया उसका नंबर– 854550 था। दिनांक 17–01–2020 को गाय बीमार हो गई और 12 बजे दिन में उसकी मृत्यु हो गई। गाय का पोस्टमार्टम कराया गया और टैग सहित कान काटकर संबंधित अधिकारी को दिया गया। बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के सभी प्रपत्र क्लेम हेतु भेजे गये। दिनांक 12–01–2021 को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गाय का कर्ण छल्ला कवरनोट में 844550 लिखा गया है जब कि जमा किया गया कान का छल्ला 854550 है। कंपनी द्वारा अपने कवर नोट में प्रारम्भ में 85 के स्थान पर 84 दर्ज किया है यह त्रुटि बीमा कंपनी द्वारा की गई है। गाय के रंग में कोई भिन्नता नहीं है। जिस गाय का बीमा कराया था वही गाय मरी थी। बीमा कंपनी के सर्वेयर श्री लक्ष्मण गिरि द्वारा फर्जी रिपोर्ट दी गई और क्लेम को खारिज करके बीमा कंपनी द्वारा ग्राहक सेवा में कमी किया। अतः उसकी गाय का बीमा मूल्य मु0 45000/– रू0 12 प्रतिशत ब्याज सहित तथा खर्च मुकदमा आदि के मद में मु0 10,000/– रू0 दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।

13.12.23

विपक्षी की ओर से जवाबदावा कागज सं0– 08 दाखिल किया गया जिसमें कहा गया है कि जिस गाय का बीमा किया गया था उसका टैग नंबर–844550 था लेकिन जो टैग जमा किया गया उसका नंबर– 854550 है, इस प्रकार बीमार गाय की मृत्यु होना साबित नहीं हुआ। मृतक गाय और बीमित गाय के रंग में भी भिन्नता थी, उक्त कारणों से दावा खारिज किया गया था।

परिवादी तथा विपक्षी की ओर से जरिए शपथ पत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कागज सं0– 06/2 दावा निरस्त करने का पत्र, कागज सं0– 06/3–12 प्रपत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गई हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

कागज सं0– 06/11 बीमा के कवरनोट की छायाप्रति है जिसमें लल्लन शर्मा के नाम दो गायों का बीमा किया गया है। दोनों ही गायें काले रंग की है और दोनों का मूल्य मु0 45,000/– रू0 है। इस कवर नोट में बीमा की अवधि स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है। परिवाद पत्र में यद्यपि परिवादी की ओर से बीमा पालिसी की अवधि 20–11–2018 से 19–11–2019 तक लिखा गया जो कि लिपिकीय त्रुटि है, क्योंकि गाय की मृत्यु तिथि 17–01–2020 को बीमा प्रभावी नहीं था, ऐसा कोई प्रतिवाद विपक्षी की ओर से नहीं किया गया है और कवर नोट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि बीमा वर्ष 2020 में प्रभावी था।

अब प्रश्न यह है कि लल्लन शर्मा की दो गायों का बीमा किया गया जिसमें से एक गाय की मृत्यु हुई है जिसका पोस्टमार्टम कियाा गया जो काले रंग की थी और जिसका टैग नंबर– 854550 था। सभी दस्तावेजों से इस बात की पुष्टी होती है कि मरी हुई गाय जो काले रंग की थी जिसके टैग का नंबर– 854550 था वह लल्लन शर्मा द्वारा कय करके बीमित कराई गई थी। मात्र कवर नोट में उसका नंबर 844550 अंकित हो जाता है। परिवादी की ओर से बीमा कंपनी की लिपिकीय भूल बताई गई है। बीमा कंपनी की ओर से सर्वेयर द्वारा जो आख्या प्रस्तुत की गई वह भी बिना विस्तृत जांच के तैयार की गई है। यदि कवर नोट में टैग नंबर– 854550 था तो क्या लल्लन शर्मा के पास कोई तीसरी गाय भी थी जिसका यह टैग नंबर था और वह गाय जीवित या मृत लल्लन शर्मा के पास थी। प्रथमदृष्टया यही स्पष्ट होता है कि कवर नोट में लिपिकीय त्रुटि की गई है। वास्तव में लल्लन शर्मा ने दो गाय खरीदी थी, उन्हीं दोनों का ऋण लिया था उसी गाय का बीमा कराया गया था जो काले रंग की थी, मरी हुई गाय भी काले रंग की थी, रंग में कोई भिन्नता नहीं थी। स्पष्ट है कि बीमा कंपनी द्वारा बीमित पशु का मरने पर क्लेम न देना पड़े इसलिए आधारहीन ढंग से उसका दावा खारिज किया है जो निरस्त होने योग्य है। परिवादी का गलत ढंग से दावा खारिज करने के फलस्वरूप परिवाद लाने और मुकदमें के खर्च को देखते हुए परिवादी को विपक्षी बीमा

कंपनी से मु0 10,000/– रू0 क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कं0 लि0 को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से एक माह के अंदर गाय की बीमित मूल्य मु0 45,000/– रू0 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित परिवादी को अदा करे।

विपक्षी बीमा कंपनी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह मुकदमा खर्च के मद में मु0 10,000/– रू0 इस निर्णय की तिथि से एक माह के अंदर अदा करे, अन्यथा इस धनराशि पर परिवादी 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी पाने की अधिकारी होगा।

13/12/23

(ममता गुप्ता)
महिला सदस्य
जि.उप.वि.प्रति.आ.
प्रतापगढ़

13.12.23

(यशवन्त कुमार मिश्र)
अध्यक्ष
जि.उप.वि.प्रति.आ.
प्रतापगढ़

यह निर्णय/आदेश आज खुली अदालत में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

13/12/23

(ममता गुप्ता)
महिला सदस्य
जि.उप.वि.प्रति.आ.
प्रतापगढ़

13.12.23

(यशवन्त कुमार मिश्र)
अध्यक्ष
जि.उप.वि.प्रति.आ.
प्रतापगढ़